ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)
DOI: https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v3.i9SE.2015.3284

INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH – GRANTHAALAYAH
A knowledge Repository

पर्यावरण संरक्षण और अन्तर्राष्ट्रीय कानून

विनोद कुमार चौरसिया[1], उल्का यादव[2]
[1]शा. विधि महाविद्यालय उज्जैन
[2]शा, स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय,उज्जैन

जले विष्णुः स्थले विश्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके।
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत्।
(घेरण्ड संहिता, उपदेश 7, श्लोक 18)

जलरूप विष्णु हैं, पृथ्वीरूप विष्णु हैं, पहाड़ का माथा विष्णु हैं, अग्निमाल (तेजपुंज) विष्णु हैं और सारा जगत विष्णुमय है। अर्थात् सार प्रकृति जगत विष्णुमय हैं।

प्रस्तावनाः– हमारे आस पास के वातावरण जिसमें हम जिव–जन्तु समस्त प्रकृति पेड़ पौधों से मिलकर पर्यावरण बनता है और इसके बिना हम जिवन की कोई कल्पना नही कर सकते है हमारे समक्ष आज पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती है, इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और विधियों के उल्लंघन होने पर समय–समय पर सजग प्रहरी के रूप में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय भी दिये हम हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाते है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
स्टॉकहोम सम्मेलन 1972
(Stockhome Conference 1972)

मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का यह सम्मेलन स्वीडेन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। **यह सम्मेलन 5 जून, 1972 को प्रारम्भ होकर 16 जून, 1972 को समाप्त हुआ।** इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्व–व्यापी समस्या का निदान करना था। पर्यावरण के संरक्षण के बारे म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास किया गया था। सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने और उसमें सुधार करने के लिए राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा–निर्देष देना था। इस सम्मेलन में 119 देषों द्वारा पहली आर ''एक ही पृथ्वी'' का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम **(United States Environmental Programme)** का जन्म हुआ।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन
रियो घोषणा (Rio Conference)

पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के **रियो डे जनेरो नामक स्थान पर जून 3, 1992 से जून 14, 1992 तक सम्पन हुआ।** यह जानबूझकर मानव पर्यावरण **स्टाकहोम सम्मेलन 1972 की बीसवीं वर्षगांठ** में सम्पन्न किये जाने हेतु निर्धारित किया था और विकास का केन्द्र बिन्दु मानकर निर्णय लेने हेतु बुलाया

 ISSN- 2350-0530(O) ISSN- 2394-3629(P)
Impact Factor: 2.035 (I2OR)

गया था। इसे **''पृथ्वी षिखर सम्मेलन''** का भी नाम दिया गया। इस सम्मेलन में 150 देषों की सरकारों ने भाग लिया। इस घोषणा में 27 सिद्वान्तों को प्रतिपादित किया।

पर्यावरण और भारत में प्रचलित विधियाः–

जल प्रदुषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974
वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

भारत का संविधानः–

मुल अधिकार–अनु.14,19,21
राज्य के निति निर्देष्क तत्व–48(क)
मोलिक कर्तव्य–51(क)

पर्यावरण कानून केउल्लंघन पर माननयी उच्चतम न्यायलय के प्रमुख न्याय निर्णय–

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामलें में यह निर्धारित किया गया है कि प्रदुषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का **अधिकार अनु.21** में प्रदत्त **''प्राण का अधिकार''** के अंतर्गत सम्मिलित है और प्रत्येक नागरिक को जल और वायु के प्रदुषणु से बचाने के लिए **अनु.32 के उपचार** है।

एम.सी. मेहता बनाम संघ (1989) एस.सी. ए.आइ.आर. 1984–(दिल्ली आवासीय क्षेत्र रूलीराम फुड फर्टिलाइजर कं. ओलियम गैस का मामला)

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ–कानपुर–जाजमउ में स्थित चर्मशोधन शालाओं को तत्काल बन्द करने का आदेष दिया, क्योंकि इससे निकलने वाले मलवे से गंगा का पानी दूषित हो रहा था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय–कारखानों के बन्द होने से उत्पन्न बेरोजगारी एवं राजस्व को हानि की अपेक्षा लाखों लोगो का जीवन, स्वास्थ्य और परिवेश का संरक्षण कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षः– अंततः हम कह सकते है की विकास बिना विधवंस नही हो सकता पर पर्यावरण नष्ट कर विकास मानविय आधारो के खिलाफ है अगर हम प्रकृती से खिलवाड़ करेगें तो हमारे सामने गंभीर समस्यांऐ उत्पन होगी। ओजोन परत, ग्रीन हाऊस प्रभाव, ग्लोबल वर्मिग जीते जागते उदारण है।

संदर्भ

[1] प्रतियोगिता दर्पण
[2] दैनिक भास्कर
[3] इण्डियन लॉ डाईजेस्ट
[4] पर्यावरण विधि– डॉ. जे.जे.आर. उपाध्याय
[5] भारत का संविधान– डॉ. जे. नारायण पांण्डेयं